NOTIFICATION DATED 26-6-2025 SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF PURPOSED LAND ACQUISITION AREA MEASURING 414-91-77 FOR THE CONSTRUCTION OF MOUNTAIN TOWNSHIP SHIMLA HILLS AT JATHIA DEVI

Authoritative English Text of this Department Notification No. HSG-C(8)-1/2023-Pt-II dated 26/6/2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Housing

No. HSC-C(8)-1/2023-Pt-II Dated: Shimla-02, 26 .06.2025

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by rule 3 read with rule 4 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to empower the Social Impact Assessment unit as specified in the concluding para of this notification to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition in 9 Villages, namely 1. Majhola 2. Anji 3. Shildu 4. Danokhar 5. Shilly Baghi 6. Panti 7. Kayargi, 8. Chanan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla and 9. Majhayari Sub Tehsil Mamlig, District Solan HP.

The Village and Khasra number wise detail of the proposed land in above 9 Villages in Tehsil Shimla (Rural), District Shimla and Sub-Tehsil Mamlig, District Solan, HP measuring about **414-91-77** hectares i.e. **4921-18** bighas of Govt. land and Private land attached as **Annexure "A"** is to be acquired by the Government of Himachal Pradesh for the construction of **Mountain Township Shimla Hills at Jathia Devi'-**

The purpose behind the development of the counter magnet city at Jathia Devi is to reduce the pressures of the overpopulation congestion and environmental degradation of the Shimla Town. The need for the project also arises to fulfill the increasing demands of the population and to ensure a high standard of living with safe and well planned environment. The mountain township will include affordable housing, robust infrastructure, high quality education and health care, incentive for businesses, ample social amenities and special emphasis on green initiatives and public transport system.

Thus, it is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Impact Assessment period will render the exercise as null and void and the Social Impact Assessment will be carried out within a period of six months from its commencement. The Social Impact Assessment Unit shall hold consultation, survey and public hearings. The Social Impact

Recd By
Navin Kumar
28/06/25

Dispatcher,
Dr. Manmohan Singh H.P.
Institute of Public Administration,
Fairlawn, Shimla-12

Assessment Unit shall also ensure that adequate representation is given to the representatives of Panchayats and Gram Sabha, at the stage of carrying out the Social Impact Assessment.

While considering a Social Impact Assessment study, the Social Impact Assessment Unit shall amongst other things take into consideration the impact that the project is likely to have on various components such as livelihoods of affected families, public and community properties, assets and infrastructure, particularly roads, public transport, drainage, sanitation, source of drinking water, sources of water for cattle, grazing land, plantations, public utilities such as post offices, fair price shops, food storage, godowns, electricity supply, health care facilities, schools and educational and training facilities, anganwadi, Children's parks, places of worship, land for traditional tribal institutions and tombs and cremation grounds. The Social Impact Assessment Unit shall amongst other matter consider/ cover all the aspects listed under section 4(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Act, 2013 and the rules made there-under.

The Social Impact Assessment Unit after completion of consultation, survey and public hearing shall prepare a Social Impact Assessment Study report in Form-II under sub-rule (3) of rule 3 of the rules ibid and a Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the Impact of the project under sub-section (6) of section 4 of the Act ibid in Form-III under sub-rule (4) of rule 3 of the said rules.

The Housing and Urban Development Authority which is going to construct the **Mountain Township Shimla Hills at Jathia Devi** is a Public Sector Undertaking of Government of HP and the land is being proposed to acquire in favour of Housing and Urban Development Authority under Section 2(1)(b) of the Act ibid. Hence, the provision relating to consent as required under section 2(2) of the Act ibid are also applicable in the instant acquisition.

The Himachal Pradesh, Revenue Department vide notification No. Rev. B.A(3)-3/2014-II, dated 27.11.2015 has constituted the Social Impact Assessment Unit in the following manner:-

Sr. No.	Name & Address	Designation	Contact information
1.	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla	Chairperson	0177-2734777

2.	Deputy Secretary (Revenue) to the Govt. of HP, H.P. Secretariat, Shimla-171002	Member Secretary	0177-2628497
3.	The In-charge, State Institute of Rural Development HIPA Shimla	Member	0177-2734675
4.	Head of Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla HP	Member	0177-2833872
5.	Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla.	Member	0177-2816047

By Order

Devesh Kumar
Principal Secretary (Housing) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No. As above Dated: Shimla-02, 26.06.2025.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. Additional Chief Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The CEO-cum-Secretary, HIMUDA, Nigam Vihar, Shimla-2.
3. The Deputy Commissioner, District Shimla and Solan, Himachal Pradesh.
4. The Director, Public Information and Public Relation, Shimla, Himachal Pradesh with the request to publish the notification in two daily newspapers.
5. The Chairman, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla for further necessary action.
6. All the members of the Social Impact Assessment Unit.
7. The Controller, Printing and Stationary Department, Himachal Pradesh, Shimla-5.
8. The Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla and Kandaghat, District Solan HP.
9. The Land Acquisition Collector, HIMUDA, Nigam Vihar Shimla-2 with the request to advertise the notification in the suitable places of the concerned area for publicity amongst the general public for their information.
10. The Tehsildar Shimla (Rural), District Shimla and Mamlig, District Solan HP.
11. Guard File.

Under Secretary (Housing) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
आवास विभाग

संख्या : एच.एस.जी.-सी(8)-1/2023-पार्ट-॥ तारीख शिमला -2 26.06.2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 गांवों नामत: 1. मझौला 2. आन्जी 3. शिल्डू 4. दनोखर 5. शिल्ली बागी 6. पन्टी 7. कयारगी 8. चानन तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला और 9. मझियारी उप तहसील ममलीग, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को इस अधिसूचना के अंतिम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करते हैं।

तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला और उपतहसील ममलीग, जिला सोलन में उपरोक्त 9 गांवों का प्रस्तावित भूमि रकबा लगभग 414-91-77 हेक्टेयर अर्थात 4921-18 बीघा सरकारी भूमि और प्राइवेट भूमि जिनके गाँव और खसरा नम्बरवार ब्यौरे उपाबंध "क" पर संलग्न हैं, को हिमाचल प्रदेश सरकार माउंटेन टाउनशिप जाठीया देवी, शिमला (हिल्स) के संनिर्माण के लिए अर्जित किया जाना है।

जाठीया देवी में काउन्टर मैगनेट सिटी के विकास के पीछे का उद्देश्य शिमला शहर की अधिक जनसंख्या के दवाब और पर्यावरणीय गिरावट को कम करना है। जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने और सुरक्षित एवं सुनियोजित वातावरण के साथ उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए भी इस परियोजना की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। पर्वतीय टाउनशिप में किफायती आवास, मजबूत अवसरंचना, उच्च गुणवता वाली शिक्षा और स्वस्थ्य देखभाल, व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन, पर्याप्त सामाजिक सुख-सुविधाएं और हरित पहल और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक समाघात के निर्धारण अवधि के दौरान प्रताड़ना या धमकी का कोई प्रयास इस क्रिया को अकृत (वातिल) और शून्य कर देगा और सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाइयाँ करेगी । सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन करते समय पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अध्ययन करते समय सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करेंगे जैसे कि प्रभावित कुटुम्बों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पतियों, अस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल-निकासी संकर्म, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोतों, पशुओं के लिए जल स्त्रोत, सामुदायिक जलाश्यों, चरागाह भूमि, बगानों, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानों, खाद्य भंडारण गोदामों, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधायों, स्कूल (विद्यालय) और शैक्षणिक या प्रशिक्षण सुविधाओं, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा-स्थलों, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओ के लिए भूमि और कब्रिस्तान और दाह संस्कार स्थल पर होने वाले सम्भाव्य समाघात पर विचार करेगी । सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, अन्य मामलों के साथ-साथ भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) और (5) के अधीन तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचीबद्ध सभी मदों पर विचार करेगी ।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, परामर्श, सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाई को पूर्ण करने के पश्चात उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (3) के उपबन्धो की अपेक्षाओं के अनुसार प्ररूप-II में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के समाघात का समाधान करने के लिए अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन प्ररूप-III में प्रबंधन योजना तैयार करेगी ।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है जाठीया देवी में माउंटेन टाउनशिप शिमला हिल्स का संनिर्माण करेगा और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ख) के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के पक्ष में भू-अर्जन की जानी प्रस्तावित है । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा

(2) के अधीन यथा अपेक्षित सहमति से सम्बन्धित उपबंध, वर्तमान भू-अर्जन के लिए लागू होंगे।

हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने अधिसूचना नस्ति संख्या: रैव-बीए(3)-3/2014-II तारीख 27-11-2015 द्वारा निम्नलिखित रीति से सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई का गठन किया है।

क्र० सं०	नाम व पता	पदनाम	संपर्क न०
1	निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला	अध्यक्ष	0177-2734777
2	उप सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य	0177-2626497
3	प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला	सदस्य	0177-2734675
4	विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	सदस्य	0177-2833872
5	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौधयोगिकी विभाग, शिमला	सदस्य	0177-2816047

आदेश द्वारा

(देवेश कुमार)
प्रधान सचिव (आवास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त तारीख शिमला 26 .06. 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. उपायुक्त, जिला शिमला/सोलन, हिमाचल प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन दो विभिन्न समाचार पत्रों, जिनमें एक क्षेत्रीय भाषा का हो, में करवाया जाये।
5. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलान, शिमला-171012।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के समस्त सदस्य ।

7. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

8. उप मण्डल अधिकारी (ना), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला व कंडाघाट, जिला शिमला ।

9. भू-अर्जन अधिकारी, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण,, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर करवाया जाये ।

10. तहसीलदार, शिमला ग्रामीण, जिला शिमला/ममलीग, जिला सोलन, हि०प्र० ।

11. संरक्षण नस्ति ।

अवर सचिव (आवास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष: 01772628504